झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः– वार्ड स्तर पर वार्ड के प्रबंधन हेतु वार्ड विकास केन्द्र के गठन के संबंध में ।

6932
08/11/17

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–34 में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा–35 में वार्ड समिति के कृत्यों का प्रावधान है।

2. उक्त आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3873 दिनांक–28.08. 2014 द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन, चयन, प्राथमिकताओं का निर्धारण, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, इत्यादि के लिए वार्ड समिति की संरचना, कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3779 दिनांक–14.06.2017 के द्वारा वार्ड समिति के अन्तर्गत गठित विभिन्न उप समितियों के सुचारू कार्य संचालन के संबंध में निदेश निर्गत किये गये हैं।

3. उक्त वर्णित प्रावधानों के होते हुए भी वार्ड स्तर पर योजनाओं के सूत्रण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में कठिनाई महसूस हो रही है। शहरी योजनाओं का लाभ सामान्य नागरिकों तक उपलब्ध कराने तथा आम नागरिकों की विभिन्न नगरीय सेवाओं तथा निकाय कार्यों में सहभागिता सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता है।

4. वार्ड स्तर पर योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु दक्ष एवं कुशल व्यवस्था उपलब्ध नहीं रहने के कारण इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षित तथा पेशेवर स्वयंसेवकों की सहभागिता की नितान्त आवश्यकता है, जो न केवल शहरी विकास से संबंधित योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में सहभागी होंगे, अपितु वार्ड स्तर पर शहरी नागरिकों से संबंधित समस्याओं संबंधी सूचनाओं के एकत्रीकरण, उनके निराकरण एवं अपने वार्ड के विकास में सहभागिता हेतु प्रेरित करेंगे।

5. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत वार्ड स्तर पर **वार्ड विकास केन्द्र** के गठन का निर्णय लिया गया है।

वार्ड विकास केन्द्र की व्यवस्था एक वर्ष के लिए लागू की जायेगी तथा इसके फलाफल के पश्चात इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया जायेगा।

5.1 **वार्ड विकास केन्द्र की संरचना** – वार्ड विकास केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत वार्ड स्तर पर स्थानीय पढ़े–लिखे युवक एवं युवतियों का एक समूह होगा, जो शहरी निकाय में आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने हेतु इच्छुक होंगे तथा वार्ड के कार्यों में वार्ड समिति एवं अधीनस्थ विभिन्न उप समितियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

प्रत्येक वार्ड विकास केन्द्र के अधीन चार सदस्य होंगे, जो संबंधित वार्ड समिति के अधीन रहेंगे तथा उसके पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे।

5.2 **वार्ड विकास केन्द्र का स्वरूप** निम्नवत होगा –

5.2.1 इसमें कम से कम एक सदस्य महिला होगी।

5.2.2 समिति का कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य होगा।

5.2.3 वार्ड विकास केन्द्र के अधिकतम दो (2) सदस्यों का चयन अनारक्षित कोटि से किया जाएगा।

5.2.4 सदस्यों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होगी।

5.2.5 इनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी।

5.2.6 समूह के प्रत्येक सदस्य, उक्त वार्ड क्षेत्र के निवासी होंगे तथा उनका नाम उक्त वार्ड की निर्वाचन सूची में दर्ज होना आवश्यक है।

6932
08/11/17

5.3 **प्रोत्साहन/सम्मान राशि**

वार्ड विकास केन्द्र के सदस्यों को उनके द्वारा किए गए कार्य के विरूद्ध प्रोत्साहन/सम्मान राशि दी जायेगी, जिसका निर्धारण कार्य कराने वाला संबंधित विभाग करेगा। इन सदस्यों को अलग से कोई नियत मानदेय एवं परिलब्धि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

5.4 **चयन की प्रक्रिया**

वार्ड विकास केन्द्र के सदस्यों के कार्य हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों का चयन निम्न प्रकार किया जाएगा :-

5.4.1 वार्ड विकास केन्द्र राज्य के विभिन्न जिलों के अन्तर्गत अवस्थित शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में सदस्यों के चयन हेतु राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा अपील के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएँगे।

5.4.2 आवेदन पत्र संबधित शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर समर्पित किए जाऐंगे।

5.4.3 प्रत्येक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी के स्तर पर इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति के द्वारा आठ (8) सुपात्र आवेदकों की सूची अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय को समर्पित कर दी जाएगी।

5.4.4 निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के स्तर पर गठित समिति के द्वारा अनुशंसित आठ (8) सुपात्र आवेदकों में से सर्वश्रेष्ठ चार (4) आवेदकों को चयनित करते हुए तत्संबंधी सूचना नगर विकास एवं आवास विभाग तथा संबंधित निकाय को दी जाएगी।

5.4.5 तदनुसार चयनित किए गए चार सदस्य स्वयंसेवक के रूप में वार्ड विकास केन्द्र को समस्त सहयोग प्रदान करेंगे।

5.5 **चयन समितियों की संरचना**

5.5.1 उपर्युक्त प्रयोजन हेतु गठित शहरी स्थानीय निकाय स्तरीय अनुशंसा समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :-

5.5.1.1 संबंधित निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी — अध्यक्ष

5.5.1.2 संबंधित वार्ड के पार्षद् — सदस्य

5.5.1.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी — सदस्य

5.5.2 निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के स्तर पर गठित चयन समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी : –

5.5.2.1 निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय — अध्यक्ष

5.5.2.2 नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रतिनिधि — सदस्य

5.5.2.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि — सदस्य

5.6 सदस्यों के चयन हेतु **विहित अर्हताएँ एवं अंक** निम्न प्रकार से प्रदान किए जाऐंगे :-

5.6.1 कुल पूर्णांक — 100 अंक

5.6.2 शैक्षणिक योग्यता के आधार पर — 40 अंक

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय
मैट्रिक	40	30	20

5.6.3 **जिम्मेदार नागरिक के आधार पर** – 40 अंक

क्र.सं.	मापदण्ड	अधिकतम अंक
1	जिस वित्तीय वर्ष में आवेदन किया जाना है, उसके पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों में होल्डिंग करों के समस्त भुगतान के विरूद्ध	27
2	पिछले दो वित्तीय वर्षों के बकाये जल करों के समस्त भुगतान के विरूद्ध	10
3	पिछले एक वित्तीय वर्ष के बकाये ठोस अपशिष्ट उपभोक्ता शुल्क के समस्त भुगतान के विरूद्ध	3

6932
28/11/17

जिस क्षेत्र में नगरपालिका के द्वारा जलापूर्ति एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था नहीं की गयी है, उक्त क्षेत्र में आवासित आवेदक नागरिक को जल कर हेतु निर्धारित पूरे अंक प्रदान किए जाएगें।

5.6.4 **वार्ड में आवासन की अवधि के आधार पर** – 20 अंक

क्र.सं.	मापदण्ड	अधिकतम अंक
1	संबंधित वार्ड में आवासन की अवधि 5 वर्ष से अधिक होने की स्थिति में	20
2	संबंधित वार्ड में आवासन की अवधि 5 वर्ष से कम होने की स्थिति में	समानुपातिक अंक

5.6.5 उपर्युक्त मापदंडों के आधार पर सामान्य श्रेणी के सदस्य हेतु न्यूनतम 70 अंक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य के चंयन हेतु न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों में से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को बतौर सदस्य चयनित किया जाएगा।

5.7 **वार्ड विकास केन्द्र के कार्य –**

वार्ड विकास केन्द्र निम्नांकित कार्यों के संपादन हेतु उत्तरदायी होंगे :–

5.7.1 वार्ड विकास केन्द्र के सदस्यों के द्वारा वार्ड स्तर पर संचालित की जानेवाली सभी केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं, यथा–स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आजीविका मिशन, इत्यादि की जानकारी सामान्य नागरिकों के बीच पहुँचाने में सहयोग प्रदान की जाएगी।

5.7.2 वार्ड विकास केन्द्र के द्वारा वार्ड के समस्त कार्यों के प्रति सामान्य नागरिकों को जागरूक बनाया जाएगा।

5.7.3 वार्ड में ऐसे वंचित लोग, जो वार्ड में योजनाओं का लाभ लेने से अथवा योजनाओं की प्रक्रिया से जुटने में कठिनाई महसूस करते हैं, को आवेदन देने तथा आवेदन प्राप्त कर सक्षम स्तर तक पहुँचाने एवं सक्षम स्तर से कार्य को निष्पादित कराकर, उनतक पहुँचाने में सहयोग प्रदान करेंगे।

5.7.4 वार्ड विकास केन्द्र के सदस्य वार्ड में मलिन बस्ती (Slum) के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे।

5.7.5 वार्ड विकास केन्द्र के सदस्य वार्ड में संचालित वार्ड स्तर की योजना के चयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में सहायता प्रदान करेंगे।

5.7.6 वार्ड विकास केन्द्र के सदस्य वार्ड स्तर पर संचालित योजना के गुणवत्तायुक्त कार्यान्वयन हेतु सामान्य नागरिकों को जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

5.7.7 वार्ड विकास केन्द्र के सदस्यों को समय–समय पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे।

5.7.8 नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा समय–समय पर सौंपे गए विभिन्न कार्यों का ससमय निष्पादन।

5.7.9 राज्य सरकार के अन्य विभागों के द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय के माध्यम से सौंपे गए समस्त दायित्वों का ससमय निर्वहन।

5.7.10 संबंधित वार्ड की वार्षिक विकास योजना में सहायता/वार्ड विकास केन्द्र के सदस्यों के द्वारा वार्ड स्तर पर गठित विभिन्न उप समितियों के साथ पारस्परिक समन्वयन स्थापित करते हुए अपनी वार्ड समिति के अन्तर्गत वार्षिक वार्ड विकास योजना तैयार करने में मदद की जाएगी।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग को इसकी दो सौ प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

8.11.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— 1/विविध (वा0वि0के0)—52/2017/न0वि0आ0 6932 राँची,दि0— 08/11/17

प्रतिलिपि :—महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई—गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.11.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— 1/विविध (वा0वि0के0)—52/2017/न0वि0आ0 6932 राँची,दि0— 08/11/17

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद/प्रबंध निदेशक, जुडको लिमिटेड/नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड/नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी पदाधिकारी/कर्मचारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.11.17

सरकार के प्रधान सचिव।